सं०: 3041/सात०-अ०-न्या०-612/82

क्र०सं० - 170
आवक दि० - 16-9-89
[illegible] - 14-3/89

प्रेषक,

श्री के०एल० शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता और परामर्श बोर्ड,
510, जवाहर भवन,
लखनऊ ।

न्याय(अधीनस्थ न्यायालय)अनुभाग लखनऊ: 6 सितम्बर, 1989

विषय: प्रदेश की समस्त जिला कानूनी सहायता और परामर्श समितियों तथा उच्च न्यायालय कानूनी सहायता और परामर्श समिति, इलाहाबाद एवं लखनऊ हेतु सृजित एक-एक कनिष्ठ लिपिक एवं एक-एक चपरासी के पदों का स्थायीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश सं०-801/सात-अ०-न्या०-~~xxxx~~612/82, दिनांक 19 अप्रैल, 1989 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं०-1089/सात-अ०-न्या०-612/82, दिनांक 14 फरवरी, 1985 में प्रदेश की समस्त जिला कानूनी सहायता और परामर्श समितियों तथा उच्च न्यायालय कानूनी सहायता और परामर्श समिति, इलाहाबाद एवं लखनऊ के लिए सृजित एक-एक कनिष्ठ लिपिक और एक-एक चपरासी के अस्थायी पदों को राज्यपाल महोदय दिनांक 1 सितम्बर, 1989 से स्थायी पदों पर परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे ।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अस्थायी पदों के दिनांक 1 सितम्बर, 1989 से स्थायी पदों में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप शासनादेश सं०-801/सात-अ०-न्या० 612/82, दिनांक 9 अप्रैल 1989 को, जिसमें इन पदों को वित्तीय वर्ष 1989-90 में दिनांक 28 फरवरी, 1990 तक अस्थायी रूप से चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा कि उक्त पद की निरन्तरता दिनांक 31 अगस्त, 1989 तक के लिये ही प्रदान की गयी थी ।

4- उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय आय व्ययक के लेखा शीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण -आयोजनेत्तर-200-अन्य-

अगला...2